

प्रारंभिक परीक्षा

सी-फ्लड(C-FLOOD)

संदर्भ

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सी-फ्लड प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया।

सी-फ्लड प्लेटफॉर्म के बारे में - एक एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली -

- द्वारा विकसित:
 - C-DAC पुणे (उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र)
 - जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग (CWC)।
- राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तहत कार्यान्वित, निम्नलिखित द्वारा संचालित:
 - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)
- लक्ष्य: पूरे भारत में बाढ़ पूर्वानुमान, प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया में सुधार करना।
- सी-फ्लड की मुख्य विशेषताएं:
 - 2-दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने वाला वेब-आधारित प्लेटफॉर्म।
 - गाँव स्तर पर बाढ़ के जलप्लावन मानचित्र और जल स्तर की भविष्यवाणियाँ प्रदान करता है।
 - विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों से बाढ़ मॉडलिंग डेटा को एकीकृत करते हुए एक एकीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
 - आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के लिए निर्णय-समर्थन उपकरण के रूप में डिज़ाइन किया गया है।
- भौगोलिक विस्तार:
 - महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियों में कार्यरत है।
 - भविष्य के चरणों में अधिक नदी घाटियों तक कवरेज का विस्तार करने की योजना है।
- तकनीकी मुख्य बिंदु:
 - बाढ़ परिदृश्यों का अनुकरण करने के लिए उन्नत 2D हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग का उपयोग करता है।
 - महानदी बेसिन के लिए सिमुलेशन C-DAC पुणे में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) बुनियादी ढांचे पर चलाए जाते हैं।
 - गोदावरी और तापी बेसिन के लिए आउटपुट राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (NHP) के अंतर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) द्वारा विकसित किए जाते हैं।

स्रोत: [पीआईबी](#)

नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना

संदर्भ

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने SPREE 2025 लॉन्च किया है।

SPREE 2025 (नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना) के बारे में

- ESIC द्वारा अपंजीकृत नियोक्ताओं और श्रमिकों, विशेष रूप से संविदा और अस्थायी कर्मचारियों को ESI सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत लाने के लिए एक विशेष पहल।
- द्वारा शुरू किया गया: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)
- के अंतर्गत: श्रम और रोजगार मंत्रालय
- लक्ष्य: स्वैच्छिक अनुपालन के माध्यम से रोजगार को औपचारिक बनाना और अनौपचारिक कार्यबल के लिए ESI कवरेज का विस्तार करना।

SPREE 2025 की मुख्य विशेषताएं -

- डिजिटल पंजीकरण: ESIC पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और एमसीए पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है।
- कोई पूर्वव्यापी जुर्माना नहीं: नियोक्ता पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए अंशदान का भुगतान करने या निरीक्षण/कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
- घोषित वैधता: ESI कवरेज पंजीकरण के दौरान नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से लागू होता है।
- कोई कानूनी बाधा नहीं: पिछले गैर-अनुपालन के लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जिससे नियोक्ता की चिंता कम हो जाती है।
- अनौपचारिक क्षेत्र के लिए समर्थन: अस्थायी, संविदात्मक और असंगठित श्रमिकों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क में लाया जाता है।
- एकमुश्त माफी योजना: अपंजीकृत संस्थाओं द्वारा सामूहिक भागीदारी के लिए दंड-मुक्त अवसर प्रदान करती है।
- श्रम औपचारिकीकरण को बढ़ावा: यह नियोक्ताओं को अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक रोजगार प्रणाली में लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- सामाजिक कल्याण का विस्तार: श्रमिकों के व्यापक वर्ग के लिए ESI स्वास्थ्य, बीमा और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच को बढ़ाया गया है।

स्रोत: [पीआईबी](#)

क्वाड (QUAD)

संदर्भ

क्वाड विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है और अपराधियों को बिना देरी किए न्याय के दायरे में लाने का आह्वान किया है।

चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (QUAD) के बारे में -

- यह चार देशों का रणनीतिक मंच है: भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
- उद्देश्य: एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा नियम-आधारित व्यवस्था, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
- उत्पत्ति: इसकी पहल सबसे पहले 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा की गई थी, लेकिन यह शीघ्र ही समाप्त हो गई; हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच 2017 में इसे पुनर्जीवित किया गया।
- सहयोग की प्रकृति: यह कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य (कोविड-19 वैक्सीन वितरण) जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित है।
- भारत के लिए क्वाड का महत्व:
 - चीन की "स्ट्रिंग ऑफ पर्स" और आक्रामकता के खिलाफ रणनीतिक लाभ।
 - एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ब्लू डॉट नेटवर्क और सप्लाय चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव जैसी पहलों के ज़रिए आर्थिक लाभ।
 - संयुक्त अभ्यास और गश्त के ज़रिए भारतीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाता है।
 - हिंद-प्रशांत में क्षेत्रीय स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देता है।
 - कोविड के बाद की कूटनीति: चीन से बाहर निकलने वाले उद्योगों को आकर्षित करने के लिए लाभ उठाना।
- प्रमुख क्वाड पहल:
 - क्वाड फेलोशिप - हिंद-प्रशांत छात्रों के लिए STEM में पीएचडी फंडिंग।
 - वैक्सीन साझेदारी और कोविड-19 वैश्विक कार्य योजना - वैक्सीन आउटरीच को बढ़ावा देना।
 - वरिष्ठ साइबर समूह - साइबर सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना।
 - जलवायु कार्य समूह - जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन और अनुकूलन का समर्थन करना।
 - समुद्री अभ्यास: सभी क्वाड सदस्य वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लेते हैं।

QUAD का विकास

- 2007: जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड बनाने का विचार प्रस्तावित किया। क्वाड का गठन सबसे पहले 2007 में आसियान के नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक के दौरान किया गया था।
- 2012: जापानी प्रधानमंत्री ने फिर से 'डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड' की अवधारणा पर प्रकाश डाला जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
- 2017: भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने आसियान शिखर सम्मेलन 2017 से पहले मनीला में पहली 'क्वाड' वार्ता की।
- 2020: भारत-अमेरिका-जापान के त्रिपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास का विस्तार कर इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया, जो चारों देशों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था।
- 2021: क्वाड नेताओं ने वर्चुअली मुलाकात की और बाद में 'द स्पिरिट ऑफ द क्वाड' शीर्षक से एक संयुक्त बयान जारी किया। 2021 से, क्वाड के सदस्य देश और उनके नेता नियमित रूप से "लीडर्स समिट" की मेजबानी कर रहे हैं।

स्रोत: द हिंदू

समाचार संक्षेप में

शोधकर्ताओं ने पहली बार प्राचीन मिस्र के संपूर्ण जीनोम का अनुक्रमण किया

समाचार? शोधकर्ताओं ने 4,500 से 4,800 वर्ष पूर्व रहने वाले एक प्राचीन मिस्र के व्यक्ति के सम्पूर्ण जीनोम का सफलतापूर्वक अनुक्रमण कर लिया है।

जीनोम के बारे में -

- यह किसी जीव में आनुवंशिक पदार्थ (डीएनए या आरएनए) का संपूर्ण समूह है, जिसमें वृद्धि, रखरखाव और प्रजनन के लिए सभी आनुवंशिक निर्देश शामिल होते हैं।
- मानव जीनोम:
 - न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सहित डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) से बना है।
 - इसके विपरीत, आरएनए वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए होता है।
- जीनोम में न्यूक्लियोटाइड्स (A, T, G, C) के क्रम का निर्धारण करना जीनोम अनुक्रमण कहलाता है।

जीनोम कहां पाया जाता है?

- यूकेरियोट्स (मानव, पशु, पौधे, कवक) में:
 - जीनोम मुख्यतः नाभिक में स्थित होता है।
 - माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होता है
 - लाल रक्त कोशिकाओं (नाभिक या माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं) को छोड़कर लगभग हर कोशिका में पाया जाता है।
- प्रजनन कोशिकाओं (शुक्राणु और अंडाणु) में:
 - प्रत्येक में आधा जीनोम होता है।
 - निषेचन के दौरान संयोजित होकर पूर्ण जीनोम का निर्माण करते हैं।
- प्रोकैरियोट्स (बैक्टीरिया और आर्किया) में:
 - जीनोम न्यूक्लियोटाइड में संग्रहित होता है, जो कोशिका द्रव्य के भीतर एक क्षेत्र है (कोई वास्तविक नाभिक नहीं)।

स्रोत: द हिंदू

ऑपरेशन मेलन

समाचार? हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा ऑपरेशन मेलन चलाया गया।

यह ऑपरेशन क्या था?

- **नेतृत्व:** NCB की कोचीन जोनल यूनिट द्वारा।
- **लक्ष्य:** भारत में सबसे खराब डार्कनेट-आधारित नारकोटिक्स सिंडिकेट, जो "केटामेलॉन" उपनाम से संचालित होता है, जिसे लेवल 4 विक्रेता के रूप में पहचाना जाता है - भारत में यह शीर्ष-स्तरीय रेटिंग वाला एकमात्र विक्रेता है।

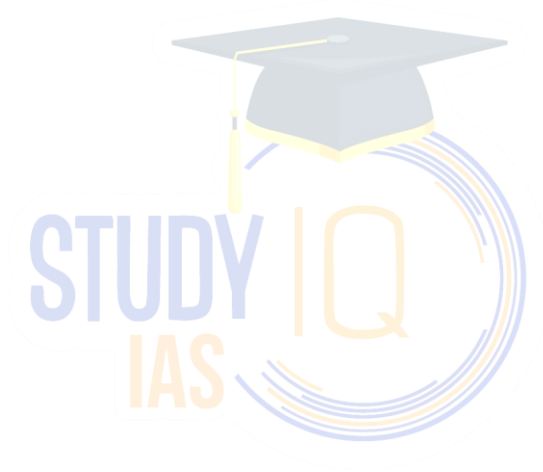
चंद्रमा की धूल(Moondust)

समाचार? हाल ही में लाइफ साइंसेज इन स्पेस रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, चंद्रमा की धूल, पार्टिकुलेट मैटर की तुलना में कम हानिकारक है।

चंद्रमा की धूल के बारे में -

- चंद्रमा की धूल सूक्ष्म, स्थिर आवेशित कणों से बनी होती है जो सतहों से चिपक जाती है, जैसा कि अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने अनुभव किया था।

- चंद्रमा की धूल और पृथ्वी की शहरी धूल (पीएम 2.5) दोनों ही फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं, विशेष रूप से ऑक्सीजन विनिमय के लिए जिम्मेदार वायुकोशीय कोशिकाओं को।
- चंद्रमा की धूल के अनुकारक, पृथ्वी के PM2.5 की तुलना में ब्रॉन्कियल कोशिकाओं के लिए कम विषैले होते हैं, लेकिन अत्यधिक उच्च सांद्रता पर, दोनों ही सूजन पैदा करने वाले और हानिकारक हो सकते हैं।



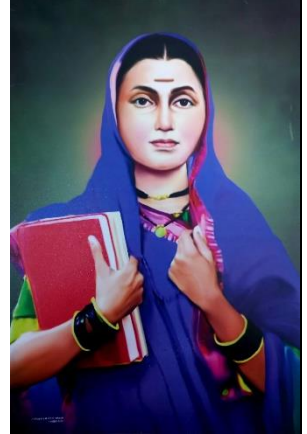
समाचार में व्यक्तित्व

सावित्रीबाई फुले

समाचार? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है।

सावित्रीबाई फुले के बारे में -

- उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गाँव में हुआ था।
- वे एक अग्रणी समाज सुधारक, कवि और स्वतंत्रता सेनानी थीं।
- भारत की पहली महिला शिक्षिका बनीं।
 - 1852 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका के रूप में मान्यता दी
- उन्होंने ज्योतिराव फुले (जिन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की) के साथ मिलकर उन्होंने 1848 में पुणे में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला।
- दो प्रमुख संस्थाओं की स्थापना की गई:
 - नेटिव फीमेल स्कूल, पुणे
 - महार, मांग और अन्य हाशिए के समुदायों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सोसायटी।
- सभी जातियों में महिला अधिकारों और सामाजिक न्याय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल (1852) की स्थापना की।
- 1863 में, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की शुरुआत की गई, जो भारत का पहला कन्या भ्रूण हत्या रोकने वाला गृह था, जिसमें विधवाओं और यौन हिंसा के पीड़ितों को आश्रय दिया जाता था।
- साहित्यिक योगदान -
 - दो महत्वपूर्ण कविता संग्रह लिखे:
 - काव्य फुले (1854)
 - बावन काशी सुबोध रत्नाकर (1892)
 - कविता: "जाओ शिक्षा प्राप्त करो"



स्रोत: पीआईबी

समाचार में स्थान

बरगंडी



समाचार? बरगंडी 4 जुलाई को विश्व धरोहर स्थल में 'क्लाइमेट्स' को शामिल किए जाने की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है।

बरगंडी के बारे में -

- पूर्व-मध्य फ्रांस में स्थित है।
- बरगंडी वाइन (पिनोट नोयर, शारडोने), गैस्ट्रोनॉमी और ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है।
- प्रमुख संधि: अरास की संधि।

स्रोत: द हिंदू

संपादकीय सारांश

भारत और वैश्विक दक्षिण: सहभागिता के तौर-तरीकों का पुनर्गठन

संदर्भ

भारत ने वैश्विक दक्षिण के साथ विकास साझेदारी का विस्तार किया है, मुख्य रूप से लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) के माध्यम से। हालांकि, ऋण संकट और घटती वैश्विक सहायता अब संतुलित, अभिनव और सहकारी जुड़ाव मॉडल की ओर बदलाव की मांग करती है।

भारत क्या कर रहा है?

- **बढ़ता विकास सहयोग:** वैश्विक दक्षिण के साथ भारत का विकास सहयोग तेजी से बढ़ा है, जिसमें कुल बहिर्वाह 2010-11 में 3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 7 बिलियन डॉलर हो गया है।
- **सहभागिता के प्रमुख तौर-तरीके:**
 - **लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC):** भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के तहत मुख्य साधन, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।
 - **क्षमता निर्माण:** अधिकारियों और पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी), ई-आईटीईसी और पैन अफ्रीका ई-नेटवर्क जैसे प्रमुख कार्यक्रम।
 - **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (जैसे, यूपीआई, कोविन प्लेटफॉर्म) में सस्ती प्रौद्योगिकियों को साझा करना।
 - **बाजार पहुंच:** अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजनाएं।
 - **अनुदान और रियायती वित्त:** सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष अनुदान।
- **दक्षिण-दक्षिण एकजुटता को बढ़ावा देना:** जी-20, ब्रिक्स और वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (वीओजीएस) जैसे मंचों पर वैश्विक दक्षिण के मुद्दों की वकालत करना।
 - सहभागिता के तौर-तरीकों में संतुलन लाने के लिए वैश्विक विकास समझौते (जीडीसी) का प्रस्ताव।

समस्याएं और चुनौतियां -

- **साझेदार देशों में संप्रभु ऋण संकट:** कई प्राप्तकर्ता देश ऋण संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे ऋण-सीमा का पुनर्भुगतान अनिश्चित हो गया है।
 - **उदाहरण के लिए,** जाम्बिया ने 2020 में अपने संप्रभु ऋण पर चूक की और भारत की ऋण सहायता को चुकाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण 2024 में भारत के एक्जिम बैंक के साथ ऋण पुनर्गठन समझौता हुआ।
- **ऋण-सीमाओं पर खतरे के संकेत:** वित्त मंत्रालय ने ऋण-सीमाओं पर निरंतर अत्यधिक निर्भरता के प्रति आगाह किया है, विशेष रूप से वैश्विक तरलता संकट और पुनर्भुगतान जोखिमों के बीच।
- **वैश्विक विकास वित्त में गिरावट:** पारंपरिक दाताओं से आधिकारिक विकास सहायता (ODA) में कमी (2023 में 214 बिलियन डॉलर से घटकर प्रस्तावित 97 बिलियन डॉलर), भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक संकटों के कारण और भी बढ़ गई है।
- **संसाधन संबंधी बाधाएं और ओडीए राजनीति:** विकास वित्त में ओडीसीडी-डीएसी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन - विकास सहायता समिति) का प्रभुत्व प्रतिबंधात्मक शर्तें निर्धारित करता है, जो अक्सर वैश्विक दक्षिण प्राथमिकताओं के साथ मेल नहीं खाती हैं।
 - **उदाहरण:** DAC सदस्य देशों से मिलने वाली सहायता अक्सर "बंधी हुई सहायता" (Tied Aid) के रूप में होती है—जिसमें लाभार्थी देशों को केवल दाता देश या कुछ निर्दिष्ट देशों से ही वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदनी होती हैं।

विकास सहायता समिति 33 सदस्यों (ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, आदि) का एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जो सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं।

- **उधार लेने की बढ़ती लागत और अनिश्चितता:** वैश्विक पूंजी बाजार की अस्थिरता ने भारत के लिए उधार लेना और रियायती वित्त प्रदान करना कठिन और महंगा बना दिया है।
- **कार्यान्वयन और प्रभाव संबंधी मुद्दे:** कभी-कभी, भारतीय सहायता परियोजनाओं को धीमी गति से कार्यान्वयन या स्थानीय आवश्यकताओं के साथ सीमित संरेखण के कारण आलोचना का सामना करना पड़ता है।

भारत को क्या करना चाहिए -

- **संपर्क के तौर-तरीकों में संतुलन स्थापित करना:** LoC (Lines of Credit) आधारित एकतरफा दृष्टिकोण से हटकर एक संतुलित मॉडल अपनाना आवश्यक है, जिसमें अनुदान, तकनीकी सहयोग, बाजार तक पहुँच, और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे तत्वों का विस्तार किया जाए।
- **त्रिकोणीय सहयोग (TrC) को बढ़ावा देना:** तीसरे देशों, विशेष रूप से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विकास के लिए समान विचारधारा वाले देशों (जैसे, जर्मनी, जापान, ब्राजील) के साथ संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित करना।
 - **उदाहरण के लिए,** भारत और जर्मनी ने 2022 में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका (कैमरून, घाना, मलावी और पेरू) में टीआरसी परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
- **क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी साझेदारी को मजबूत करना:** साझेदारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आईटीईसी, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निर्यात और ज्ञान आदान-प्रदान जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- **पैमाने और प्रभाव के लिए साझेदारी का लाभ उठाना:** सह-वित्तपोषण और अधिक प्रभाव के लिए वैश्विक संस्थाओं (जी-20, विश्व बैंक, अफ्रीकी संघ) और निजी क्षेत्र के साथ जुड़ना।
- **ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना:** ऐसे वित्तपोषण मॉडल तैयार करें जो संकटग्रस्त देशों के लिए ऋण स्थिरता और समर्थन को प्राथमिकता देना।
- **वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करना:** वैश्विक मंचों पर वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को उजागर करना जारी रखना, तथा अधिक न्यायसंगत विकास वित्त और प्रौद्योगिकी प्रवाह के लिए सामूहिक सौदेबाजी को आगे बढ़ाना।

स्रोत: [द हिंदू](#)

प्रशामक देखभाल(Palliative care)

संदर्भ

प्रशामक देखभाल के सिद्ध प्रभाव के बावजूद, भारत में इसका वित्तपोषण और उपयोग बहुत कम है, जिसके कारण लाखों लोग उस सहायता से वंचित रह जाते हैं जिसकी उन्हें अत्यंत आवश्यकता है।

प्रशामक देखभाल से क्या तात्पर्य है?

- प्रशामक देखभाल विशेष चिकित्सा देखभाल है जो गंभीर बीमारियों के दर्द, लक्षणों और तनाव से राहत प्रदान करने पर केंद्रित है।
- इसका लक्ष्य बीमारी का इलाज करने के बजाय, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को संबोधित करके रोगियों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

भारत में प्रशामक देखभाल की आवश्यकता -

- **गैर-संचारी रोगों में वृद्धि:** कैंसर, मधुमेह, हृदय और श्वसन रोगों में वृद्धि के कारण अधिक रोगियों को दीर्घकालिक लक्षण प्रबंधन की आवश्यकता पड़ रही है।
- **पीड़ा का उच्च बोझ:** हर वर्ष 7-10 मिलियन भारतीयों को प्रशामक देखभाल की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल 1-2% लोगों तक ही इसकी पहुंच होती है।
- **वृद्ध होती जनसंख्या:** वृद्ध लोगों की संख्या में वृद्धि के कारण, जीवन के अंतिम चरण में देखभाल की आवश्यकता बढ़ रही है।
 - उदाहरण के लिए, भारत में बुजुर्गों की आबादी अन्य आयु समूहों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, 2022 और 2050 के बीच 80+ आयु वर्ग के लोगों की संख्या में 279% की वृद्धि होने का अनुमान है (यूएनएफपीए रिपोर्ट)।
- **अनावश्यक अस्पताल में भर्ती होने से रोकना:** परिवारों पर भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करता है।
- **समग्र समर्थन:** दर्द, भावनात्मक संकट को संबोधित करता है, और कठिन समय में परिवारों को सहायता प्रदान करता है।

इससे जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- **कम पहुंच और उपलब्धता:** वर्ल्डवाइड हॉस्पिस पैलिएटिव केयर अलायंस (डब्ल्यूएचपीसीए, 2020) के अनुसार, 7-10 मिलियन भारतीयों में से केवल 1-2% को ही वास्तव में प्रशामक देखभाल की आवश्यकता होती है।
- **प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी:** बहुत कम डॉक्टर, नर्स और संबद्ध स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशामक देखभाल में प्रशिक्षित हैं, जिससे सेवा प्रावधान सीमित हो जाता है।
 - उदाहरण के लिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर ने 2021 में बताया कि भारत के 12 लाख पंजीकृत डॉक्टरों में से 1% से भी कम के पास प्रशामक देखभाल में कोई औपचारिक प्रशिक्षण है।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण और अवसंरचना:** प्रशामक देखभाल को बहुत कम बजटीय सहायता मिलती है, तथा समर्पित सुविधाएं भी दुर्लभ हैं।
 - उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय प्रशामक देखभाल कार्यक्रम (एनपीपीसी) के लिए सरकारी वित्त पोषण 2022-23 के लिए केवल 15 करोड़ रुपये था, जो अन्य स्वास्थ्य मिशनों की तुलना में बहुत कम है।
- **जागरूकता का अभाव:** आम जनता और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता दोनों ही प्रायः प्रशामक देखभाल के लाभों को गलत समझते हैं या इसके बारे में अनभिज्ञ होते हैं।

- उदाहरण के लिए, 2018 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सर्वेक्षण में पाया गया कि 70% से अधिक भारतीय रोगी और परिवार अवधारणा या सेवा के रूप में प्रशामक देखभाल से अनजान थे।
- **एकीकरण संबंधी मुद्दे:** प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल में प्रशामक देखभाल पूरी तरह से शामिल नहीं है, जिसके कारण विखंडन हो रहा है।
 - उदाहरण के लिए, भारत में केवल 4% मेडिकल कॉलेजों ने स्नातक एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रशामक देखभाल को एकीकृत किया है (लैंसेट ग्लोबल हेल्थ, 2020)।
- **सांस्कृतिक बाधाएं और कलंक:** मृत्यु, लाइलाज बीमारी और दर्द प्रबंधन के बारे में चर्चा अक्सर वर्जित होती है।
 - उदाहरण के लिए, इंडियन जर्नल ऑफ पैलिएटिव केयर में प्रकाशित 2019 के एक अध्ययन में कहा गया है कि 60% से अधिक डॉक्टर सांस्कृतिक वर्जनाओं के कारण मरीजों के साथ जीवन के अंत की देखभाल पर चर्चा करने में असहज महसूस करते हैं।

भारत में प्रशामक देखभाल को मजबूत करने के समाधान -

- **चिकित्सा शिक्षा में एकीकरण:** एमबीबीएस पाठ्यक्रम और संबद्ध स्वास्थ्य पाठ्यक्रमों में प्रशामक देखभाल को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
- **क्षमता निर्माण:** डॉक्टरों, नर्सों और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशामक देखभाल कौशल में प्रशिक्षित करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
- **कार्य स्थानांतरण:** नर्सों और संबद्ध स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बुनियादी प्रशामक देखभाल प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना, जिससे विशेषज्ञों की कमी को पूरा किया जा सके।
- **समर्पित वित्तपोषण और बीमा:** सरकारी वित्तपोषण आवंटित करें और उपशामक सेवाओं को कवर करने के लिए बीमा योजनाओं (जैसे, आयुष्मान भारत) का विस्तार करें।
- **जागरूकता अभियान:** प्रशामक देखभाल की जटिलताओं को दूर करने तथा शीघ्र पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा पहल शुरू करें।
- **साझेदारियां:** पहुंच बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और वैश्विक संगठनों के साथ सहयोग करें।
- **बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना:** सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रशामक देखभाल प्रदान करने के लिए सुसज्जित हों।

सर्वोत्तम प्रथाएं

केरल मॉडल

- केरल अपने समुदाय-आधारित प्रशामक देखभाल दृष्टिकोण के साथ भारत में अग्रणी है।
- राज्य का पैलिएटिव केयर में पड़ोसी नेटवर्क (एनएनपीसी) विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त उदाहरण है।
- इसमें स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना, सामुदायिक स्तर पर सेवाओं का विकेन्द्रीकरण करना, तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ प्रशामक देखभाल को एकीकृत करना शामिल है।
- केरल की 90% से अधिक आबादी को बुनियादी प्रशामक देखभाल तक पहुंच प्राप्त है - यह एक ऐसा मॉडल है जिसे भारत में अन्यत्र भी अपनाया जा सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका:

- प्रशामक देखभाल को मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल के साथ एकीकृत किया गया है; बीमा में हॉस्पिस और प्रशामक देखभाल को शामिल किया गया है, तथा रोगी-केंद्रित जीवन-पर्यन्त देखभाल पर विशेष ध्यान दिया गया है।

स्रोत: [द हिंदू](#)

मूल्य संवर्धन हेतु तथ्य

हिरासत में मौतें

- **हिरासत में मृत्यु के आंकड़े (2016-17 से 2021-22):**

- **तमिलनाडु:** 490 हिरासत/न्यायिक मौतें।
- **उत्तर प्रदेश:** 2,630 मौतों के साथ भारत में सबसे अधिक।
- **भारत (कुल):** 11,656 हिरासत/न्यायिक मौतें।

- **जवाबदेही का अंतर:**

- तमिलनाडु में हिरासत में हुई मौतों के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया गया (2017-2022)।
- पूरे भारत में इस अवधि के दौरान ऐसे मामलों में किसी भी पुलिस अधिकारी को सजा नहीं हुई।

- **न्यायिक/मजिस्ट्रियल जांच (2017-2022):**

- पुलिस हिरासत में हुई मौतों के संबंध में 345 जांचें।
- 123 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किये गये।
- 79 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।
- हिरासत में मृत्यु के मामले में शून्य दोषसिद्धि।

- **मानवाधिकार उल्लंघन:**

- पुलिस के खिलाफ (2017-2022) अवैध हिरासत, हिरासत में मौत, यातना/चोट पहुंचाने के 74 मामले दर्ज किए गए।
- 41 पुलिस कर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, लेकिन केवल 3 को दोषी ठहराया गया।

- **अनुसूचित जातियों पर असमान प्रभाव (तमिलनाडु):**

- 2022 में तमिलनाडु में 38.5% बंदी अनुसूचित जाति (एससी) से थे (राज्य में एससी जनसंख्या: 20%)।
- तमिलनाडु में अन्य राज्यों की तुलना में निवारक निरुद्धियों की संख्या बहुत अधिक है।
- 31 दिसंबर, 2022 तक तमिलनाडु में 2,129 बंदी थे - जो भारत के कुल बंदी का लगभग आधा है।

